निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 08 / 22
दायरा दिनांक :– 31.01.2022
निर्णय दिनांक :–12.03.2022

उनवान

1. विजय जाट पुत्र श्री चन्दालाल जाति जाट निवारी ग्राम बडा तहसील व जिला बारां।
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री चन्दालाल जाति जाट निवारी ग्राम बडा तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. चन्दालाल पुत्र श्री शंकरलाल दत्तक पुत्र श्री किशनलाल जाति जाट निवासी निवासी ग्राम बडा तहसील व जिला बारां।
2. श्रीमति आशा पुत्री श्री चन्दालाल पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मुक्तिधाम रोड लंका कॉलोनी बारां।
3. श्रीमति सीमा चौधरी पुत्री श्री चन्दालाल पत्नी श्री उजागर सिंह चौधरी जाति जाट निवासी निवासी ग्राम बडा तहसील व जिला बारां।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 12.03.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी – वादी
2 श्री योगेन्द्र शर्मा – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि वाके माल ग्राम मियाड़ा तहसील बारां में खाता संख्या 64 के ख0नं0 215 क्षेत्रफल 0.45 है किस्म नहरी–2 लगानी 12.60 रूपये, ख0नं0 221 क्षेत्रफल 0.77 है0 किस्म नहरी–2 लगानी 21.56 रूपये, ख0नं0 223 क्षेत्रफल 3.40 है0 किस्म नहरी–2 लगानी 95.20 रूपये कुल 3 किता क्षेत्रफल 4.62 है0 लगानी 129.36 रूपये जो दत्तक माता जगन्नाथी बाई के फौती नामान्तरण संख्या ... दिनांक 27.09.2005 से प्रतिवादी क्रम 01 चन्दालाल को विरासतन प्राप्त हुई ... ग्राम बड़ा तहसील बारां के हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:30 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत ... विधिक सेवा प्राधिकरण बारां (राज0

सदस्य

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 115 ख0नं0 1101 क्षेत्रफल 0.46 है0 माल–2 लगानी 4.84, ख0नं0 2379/310 क्षेत्रफल 0.46 है किस्म बारानी–2 लगानी 3.32 कुल 2 किता क्षेत्रफल 0.90 है0 लगानी 8.86 रूपये जो दत्तक माता जगन्नाथी बाई के फौती नामान्तरण संख्या 819 दिनांक 26.09.2005 से प्रतिवादी कम 01 चन्दालाल को विरासतन प्राप्त हुई है।

वाके माल ग्राम चैनपुरिया के हाल खाता संख्या 43 ख0नं0 1047 क्षेत्रफल 0.52 है0 किस्म बीड़ लगानी 3.64 रूपये, ख0नं0 1061 क्षेत्रफल 0.13 है0 किस्म बारानी–2 चाही–/ लगानी 4.94 रूपये, ख0नं0 238 क्षेत्रफल 2.29 है0 किस्म बारानी–1 लगानी 25.19 रूपये, ख0नं0 354 क्षेत्रफल 0.06 है0 किस्म माल–2 लगानी 0.72 रूपये, ख0नं0 357 क्षेत्रफल 2.40 है किस्म माल–2 लगानी 28.80 रूपये, ख0नं0 713 क्षेत्रफल 0.10 है0 किस्म बारानी–1, ख0नं0 757 क्षेत्रफल 1.10 है0 खेडा लगानी 1.98 रूपये, ख0नं0 758 क्षेत्रफल 0.25 है0 किस्म खेडा लगानी 4.50 रूपये कुल 8 किता क्षेत्रफल 5.86 लगानी 70.872 रूपये जो प्राकृतिक पिता शंकरलाल से अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां के आदेश दिनांक 19.11.1968 से तस्दीक नामान्तरण संख्या 78 दिनांक 06.9.1969 से पैतृक सम्पत्ति में अपने हक हिस्से में आयी है।

उक्त वर्णित आराजियात कम 1 व 2 प्रतिवादी कम 01 को अपनी दत्तक माता जगन्नाथी बाई व दत्तक पिता किशनलाल से विरासतन प्राप्त हुई, कम आराजियात अपने प्राकृतिक पिता शंकरलाल से दत्तक पूर्व विरासत में प्राप्त हुई है। तीनों खातों में प्रतिवादी कम 01 चन्दालाल के खाते में 11.38 है0 आराजी है। अविभक्त संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब के वादीगण प्रतिवादी कम 01 सहदायिकों ने प्रतिवादिया कम 02 के विवाह उपरान्त आपस में मिल बैठकर अविभक्त संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की आराजियात का बाहमी बंटवारा कर वादपत्र की चरण कम 01 की उपमद में वर्णित आराजियात को वादीगण को उनके हिस्से के रूप में संभला कर आखातीज 2003 में बाहमी बंटवारा कर लिया। बाहमी बंटवारा उपरान्त से वादीगण विवादित आराजी पर बहैसियत मालिक स्वामी काबिज काश्त चले आ रहे है विवादित आराजियात राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 01 के नाम खातेदारी में चली आ रही है। उक्त विवादित आराजियात राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 01 के नाम होने से वादीगण अपने हक, हिस्से कब्ज काश्त की आराजियात पर के.सी.सी. सहकारी बैंक ऋण एवं अनावृष्टि, अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक प्रकोप से विवादित आराजियात की फसलो के नुकसानी का मुआवजा प्राप्त करने से एवं विवादित आराजी का भू–सुधार व विकास करवा पाने से वंचित हो रहे है।

सयुंक्त हिन्दु कुटुम्ब की पैतृक आराजी में वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। वादीगण विवादित आराजी के हिस्सेदार होने से विवादित आराजी के खातेदार कृषक होने की विधिक स्थिति की घोषणा करवाकर विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत ... विधिक
सेवा प्राधिकरण बारां (राज.)

सदस्य

Scanned with CamScanner

आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण के हिस्से की विवादित आराजी को प्रतिवादी कम 01 अपने नाम खाते दर्ज होने का नाजयज फायदा उठाकर विवादित आराजी पर के0सी0सी0 एवं सहकारी त्रण प्राप्त कर वादीगण की विवादित आराजी को बैंक में रहन रखकर विवादित आराजी पर त्रण भार अधिरोपित करने पर आमादा है। प्रतिवादी कम 01 को त्रणभार अधिरोपित करने से रोके जाने हेतु वादीगण प्रतिवादी कम 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति वादीगण की और से इकवाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम मियाडा सम्वत 2073–76 खाता सं0 64 नकल जमाबंदी ग्राम बड़ा सम्वत 2073–76, नकल जमाबंदी ग्राम चेनपुरिया सम्वत 2071–74 खाता सं0 43 नमक नामा0 सं0 583 ग्राम मियाडा, नकल नामा0 सं0 819 ग्राम बड़ा, नकल नामा0 सं0 78 ग्राम चेनपुरिया पेश की गई। वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजनीनामा प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा उनके अभिभाषक गण की उपस्थिति में न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी गण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादार्थ विवादित आराजी के पूर्व वाहमी विभाजन अनुसार वादीगण को उनके हक हिस्से में मिली आराजी के हक घोषणा एवं विभाजन बाबत वाद पेश किया है जो विचाराधीन है वाहमी विभाजन में वाके माल ग्राम मियाड़ा तहसील बारां के खाता सं0 64 की कुल 3 किता रकबा 4.62 है0 आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर उक्त आराजियात राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम खाते दर्ज किए जाने में प्रतिवादी गण को कोई आपत्ति नहीं है। वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित उप मद 2 व 3 की आराजियात प्रतिवादी गण कम 1ता3 के हक हिस्से की रहेगी। राजीनाम अनुसार हम वादी गण एवं प्रतिवादी गण उक्त वाद का अन्तिम निस्तारण चाहते है।

प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम मियाडा, बडा, चेनपुरिया के अनुसार प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में दर्ज है नकल नामा0 सं0 583, ग्राम मियाडा, नामा सं0 819 ग्राम बड़ा, नकल नामा0 सं 78 ग्राम चेनपुरिया के अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 को उनके पूर्वजो से प्राप्त हुई हैं। विवादित आराजी पेतृक आराजी होने के कारण वादीगण वाहमी बंटवारे के आधार पर मुताबिक राजीनामा अनुसार अलग–अलग खाते में दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोजित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण बारां, राज0

सदस्य

Scanned with CamScanner

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मियाडा तहसील बारां के ख0नं0 215 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 221 रकबा 0.77 है0 खं0नं0 223 रकबा 3.40 है0 पर वादी गण को तथा ग्राम बड़ा के ख0नं0 1101 रकबा 0.44 है0 खं0नं0 2379/310 रकबा 0.46 है एवं ग्राम चेनपुरिया के खं0नं0 1047 रकबा 0.52 है0 खं0नं0 1061 रकबा 0.13 है0 खं0नं0 238 रकबा 2.29 है0 खं0नं0 354 रकबा 0.06 है0 खं0नं0 357 रकबा 2.40 है0 खं0नं0 713 रकबा 0.10 है, खं0नं0 757 रकबा 0.11 है0 खं0नं0 758 रकबा 0.25 है0 पर प्रतिवादी कम 1 ता 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अध्यक्ष सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 08/22	धारा अन्तर्गत 88,89,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 12.03.2022
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री हरिओम चतुर्वेदी	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री योगेन्द शर्मा	

वाद शीर्षक

उनवान

1. विजय जाट पुत्र श्री चन्दालाल जाति जाट निवारी ग्राम बडा तहसील व जिला बारां।
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री चन्दालाल जाति जाट निवारी ग्राम बडा तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. चन्दालाल पुत्र श्री शंकरलाल दत्तक पुत्र श्री किशनलाल जाति जाट निवासी निवासी ग्राम बडा तहसील व जिला बारां।
2. श्रीमति आशा पुत्री श्री चन्दालाल पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मुक्तिधाम रोड लंका कॉलोनी बारां।
3. श्रीमति सीमा चौधरी पुत्री श्री चन्दालाल पत्नी श्री उजागर सिंह चौधरी जाति जाट निवासी निवासी ग्राम बडा तहसील व जिला बारां।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मियाडा तहसील बारां के ख0नं0 215 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 221 रकबा 0.77 है0 खं0नं0 223 रकबा 3.40 है0 पर वादी गण को तथा ग्राम बड़ा के ख0नं0 1101 रकबा 0.44 है0 खं0नं0 2379/310 रकबा 0.46 है एवं ग्राम चेनपुरिया के खं0नं0 1047 रकबा 0.52 है0 खं0नं0 1061 रकबा 0.13 है0 खं0नं0 238 रकबा 2.29 है0 खं0नं0 354 रकबा 0.06 है0 खं0नं0 357 रकबा 2.40 है0 खं0नं0 713 रकबा 0.10 है, खं0नं0 757 रकबा 0.11 है0 खं0नं0 758 रकबा 0.25 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12-3-22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अध्यक्ष

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner